

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 174]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.डीडी/5/डब्ल्यू/आईएनएफ/12/बीओडी/130/13.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14(9) और 15(1) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार **श्री उमेश पुरषोत्तम पई, (सदस्यता सं. 031198), चार्टर्ड एकाउंटेंट, तीसरा तल, पाटिल भवन, रेलवे स्टेशन के सामने, डा. पथ रोड, डोम्बीवली (पूर्व), ठाणे (जिला), डोम्बीवली 421201** को अनुशासन बोर्ड द्वारा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत आने वाले 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है, और बोर्ड ने यह आदेश दिया था कि पूर्वोक्त श्री उमेश पुरषोत्तम पई के नाम को एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **श्री उमेश पुरषोत्तम पई (सदस्यता सं. 031198) का नाम तारीख 2 मई, 2016 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा जाएगा।**

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./56]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2016

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/5/W/INF/12/BOD/130/13.—In terms of the provisions of Section 21A(3) read with Rules 14(9) and 15(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, **Shri Umesh Purushotham Pai (Membership No. 031198) Chartered Accountant, 3rd Floor, Patil Bhavan, Opp. Railway Station, Dr. Path Road, Dombivali (East), Thane (Dist.), Dombivali 421 201** has been found guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline which ordered that the name of aforesaid Shri Umesh Purushotham Pai be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **Shri Umesh Purushotham Pai, (Membership No. 031198) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 2nd May, 2016.**

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./56]